

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:-4/अ0प्र0-1-01/2016

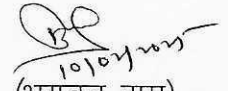
72

/पटना दिनांक 10.2.25

ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन कनीय अभियंताओं (असैनिक) को वित्त विभाग की संकल्प संख्या-4685 वि0(2) दिनांक 25.06.2003 एवं संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के आलोक में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ दिये जाने हेतु पूर्व में निर्गत विभागीय का0आ0सं0 83 सह पठित ज्ञापांक 1266 दिनांक 05.03.2024 की कंडिका-05 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नरूपेण स्क्रीनिंग कमिटी का गठन किया जाता है:-

- 1 अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/
अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना — अध्यक्ष
- 2 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित विशेष सचिव/
अपर सचिव/संयुक्त सचिव — सदस्य
- 3 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति के पदाधिकारी — सदस्य
- 4 आन्तरिक वित्तीय सलाहकार — सदस्य
- 5 अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में मो0 अरशद,
अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद — सदस्य
- 6 संयुक्त सचिव/ उप सचिव/अवर सचिव/
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना। — सदस्य

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(भगवत राम)

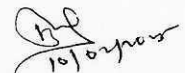
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-01/2016

1753

/पटना दिनांक 10.2.25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/मो0 अरशद, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अंचल, औरंगाबाद/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



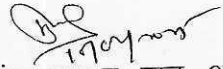
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-01/2016

1757

/पटना दिनांक- 10.2.25

प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव